134

संख्याः 1038/XVIII(II)/2012–1(52)/2009

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक2/नवम्बर, 2012

विषयः–मदरहुड इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी सोसायटी को बी0फार्मा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु ग्राम करौन्दी ज0मु0, करौन्दी मु0 एवं किशनपुर जमालपुर ज0मु0, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में कुल 1.5038 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1536/भूमि व्यवस्था/2012 दि0–2.4.2012 एवं पत्र सं0–1537/भूमि व्यवस्था/2012 दि0–2.4.2012 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0–702/XVIII(II)/2011–1(52)/2009 दि0–25.8.2011 एवं शासनादेश सं0–2329/XVIII(II)/2011–1(52)/2009 दि0–1.9.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मदरहुड इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी सोसायटी को बी0फार्मा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु ग्राम करौन्दी ज0मु0, करौन्दी मु0 एवं किशनपुर जमालपुर ज0मु0, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में 0.3886 है0 एवं 1.1152 है0 कुल 1.5038 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के दृष्टिगत आपके द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुत खाता खसरा सं0 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी0 फार्मा पाठ्यक्रम संचालन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....2

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– प्रश्नगत संस्था द्वारा बी0फार्मा पाठ्यकम का संचालन ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन एवं उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाएगा।

8– उक्त भूमि पर बी0फार्मा पाठ्यकम के अतिरिक्त अन्य कोई पाठ्यकम संस्था द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा।

9– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत आदेश की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0–1038/XVIII(II)/2012–1(52)/2009/समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, मदरहुड इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्निोलॉजी, रूड़की–हरिद्वार हाईवे करोन्दी, रूड़की, जिला हरिद्वार।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।